स्वरोजगार के वकास में ऋण देने वाली संस्थाओं की भू मका का अध्ययन

प्रा.कु.व्हि.एम.दे वकर
गृह अर्थशास्त्र वभाग प्रमुख
कला वा णज्य महिला महा वद्यालय, बल्लारपूर

प्रस्तावना:

कसी भी व्यवसाय को शुरू करने हेतु धन की आवश्यकता होती है। यदि एक महिला उद्यमी कसी व्यवसाय को चुनती है, तो उसे शुरू करने से पहले उसकी जरूरत की पूंजी को समायोजित करना होगा। इसके लए, गृहिणी को यह जानने की आवश्यकता होती है क पूंजी कैसे प्राप्त की जाए, कससे की जाए। एक छोटे व्यवसाय के लए पूंजी जुटाने के कई तरीके हैं। जिसमें पूंजी उसके द्वारा उठाए गए धन, परिवार द्वारा उठाए गए धन, गृहिणी द्वारा बचाए गए धन के माध्यम से जुटाई जाती है। उद्यमी अपने दोस्तों या करीबी रिश्तेदारों से पैसे जुटा सकता है। इस पैसे पर कोई ब्याज नहीं लया जाता है। यह पैसा उद्योग शुरू होने पर कए गए मुनाफे से चुकाया जाता है।

कई वत्तीय संस्थान अचल संपत्तियों के लए दीर्घका लक ऋण प्रदान करते हैं। उद्योग के लए भू म खरीदने के लए, आवश्यक उपकरणों की खरीद, उद्योग के लए निर्माण के लए ऋण उपलब्ध कराते हैं। इस ऋण की अव ध 5 से 10 वर्ष होती है। ऋण को 3 महीने की निश्चित कश्तों में चुकाना होता है। टर्म लोन उद्योग वकास बैंक, राज्य वत्तीय निगम, राज्य निवेश निगम और वा णज्यिक बैंक भी प्रदान करते हैं। इसकी पुनर्भुगतान की अव ध 10 वर्ष है। ऋण से उत्पन्न संपत्ति को ऋण के लए संपार्श्विक के रूप में रखा जाता है। इस रा श का 75% उधार लया जा सकता है।

राज्य सरकार की नि ध या कुछ संबद्ध एजें सयां कस्तों पर मशीनरी की आपूर्ति करती हैं। हुंडी का उपयोग उद्योग के लए पूंजी जुटाने के लए कया जाता है। वा णज्यिक बैंक और नागरिक सहकारी बैंक केवल कार्यशील पूंजी प्रदान करते हैं। जो ऋण एक वर्ष की अव ध के लए होता है। ऋण की रा श के अनुसार ब्याज दरें बढ़ती हैं। ऋण वर्ष के अंत में नवीनीकृत कया जाता है। स्वरोजगार हेतु अनेक संस्थाये ऋण प्रदान करती है। इस शोधपत्र का उद्देश स्वरोजगार के वकास में ऋण देने वाली संस्थाओं की भू मका का अध्ययन करना है।

अनुसंधान निबंध के लए प्रयुक्त अनुसंधान व ध:

वर्तमान शोध प्रबंध के लए उपयोग की जाने वाली जानकारी और तथ्यों को वषय से संबं धत व भन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं, लेखों, समाचार पत्रों से संक लत कया गया है।

अनुसंधान के उद्देश्य:

प्रस्तुत शोध के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं।

1) स्वरोजगार के वकास में ऋण देने वाली संस्थाओं की भू मका का अध्ययन करना।
2) स्वरोजगार हेतु ऋण देने वाली संस्थाओं के कार्यो को जानना।

3) महिलाओं के वकास और युवा बेरोजगारी को कम करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना।

4) अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर स्वरोजगार के वकास हेतु उपाय सुझाना।

अनुसंधान की आवश्यकता और महत्व:

उदारीकरण की शुरुआत, इसकी वक सत प्रकृति और अर्थव्यवस्था के तेजी से वकास के साथ, भारत में वैश्विक वकास ने न केवल उन मानकीकृत संस्थानों की स्थापना की है, बल्कि अपने काम का एक मॉडल भी प्रस्तुत कया है। चूं क पारंपरिक वत्तीय प्रणाली सभी के लाभ तक नहीं पहुंची है, इस लए कई वत्तीय संस्थानों ने अपनी वत्तीय जरूरतों को पूरा करने के लए महत्वपूर्ण बदलाव कए हैं और आज माइक्रोफाइनेंस से संबं धत अ धकांश वत्तीय जरूरतों को पूरा कया जा रहा है। इन संस्थानों के मुख्य सेवा वर्ग वे हैं जिनकी अभी तक बैं कंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है। इन वत्तीय सेवाओं को देश के केंद्रीय बैंक द्वारा वनिय मत कया जाता है। हालाँ क, इसके वनियमन के क्षेत्र में बहुत कुछ कया जाना बाकी है।

देश के कुछ राज्यों में वक सत स्व-सहायता समूहों ने स्वरोजगार के वकास में एक महत्वपूर्ण भू मका निभाई है और पछले दो दशकों में सरकार, गैर सरकारी संगठनों और बैं कंग संस्थानों द्वारा सु वधा और वकास के लए पर्याप्त कार्य कया गया है। मैदान में। इन सबका एकमात्र उद्देश्य देश में गरीबों को वत्तीय सु वधाएं प्रदान करना है। स्वरोजगार के वकास में इन संगठनों की भू मका जानने के लए, उनके कार्य का अध्ययन करना आवश्यक है।

स्वरोजगार का अर्थ:

एक स्व-नियोजित व्यक्ति को एक स्वतंत्र कार्यकर्ता के रूप में परिभा षत कया जा सकता है जो अपने लाभ के लए व्यावसायिक या व्यावसायिक गति व धयों का संचालन करता है। दूसरे शब्दों में, इसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाना जा सकता है जो अपनी ओर से काम करता है और सीधे कसी तीसरे पक्ष द्वारा काम पर नहीं रखा जाता है।

स्वरोजगार के वकास में ऋण देने वाली संस्थाओं की भू मका:

उद्योग के लए आवश्यक भू म की खरीद मूल्य, कानूनी शुल्क, भू म समतल करना, सड़कें, आंतरिक सड़कें, बाड़, चयनित व्यवसाय के अनुसार आवश्यक निर्माण करना, मशीनरी और उपकरण खरीदना बिजली और पानी की उपलब्धता की लागत, प्रारं भक उत्पादन से पहले केवल एक बार वहन करना पड़ता है। प्राथ मक और पूर्व-उत्पादन लागत में उद्योग पंजीकरण लागत, परियोजना रिपोर्ट, यात्रा व्यय, ब्याज ऋण, निर्माण लागत आदि शा मल हैं। व र्कंग कै पटल को प्रं सपल कै पटल कहा जाता है। ऐसा इस लए है क्यों क "कार्यशील पूंजी वह पूंजी है जिसका उपयोग कसी व्यवसाय को चलाने या उद्योग को चलाने के लए कया जाता है।" बाजार में तैयार माल बेचने के लए कच्चे माल को खरीदने की लागत को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। उद्योग शुरू करने के बाद कच्चे माल की जरूरत होती है। इन वस्तुओं की मात्रा उत्पादन क्षमता पर निर्भर करती है। संग्रह क्षमता, कच्चे माल का प्रकार, उनका संग्रह सभी पूंजी से निकटता से संबं धत हैं। उत्पादन में वृ द्ध से व्यापार में वृ द्ध होती है और व्यापार में वृ द्ध से पूंजी में वृ द्ध होती है। कन्तु ये बात भी सत्य है क

पूंजी के बिना व्यवसाय क शुरुवात ही नहीं होती। स्वरोजगार हेतु पूंजी एक बड़ा प्रश्न है। भारत मे स्व-रोजगार को बढ़ावा देने हेतु व भन्न संस्थाए उद्य मयों को वत्तीय सहायता प्रदान करते है। जो निम्नप्रकार के है:

स्वरोजगार के लए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएँ:

(1) महाराष्ट्र राज्य वत्तीय निगम **(M.S.E.C.): -** इसकी स्थापना **1963** में हुई थी। बोर्ड भू म, मशीनरी, उपकरण और स्थायी संपत्ति के अ धग्रहण के लए लघु और मध्यम उद्यमों को दीर्घका लक ऋण प्रदान करता है। इसके द्वारा महिला उद्य मयों को वत्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा, छोटे व्यवसायों को अपनी लागत के **12.5%** पर वत्तपो षत कया जाता है। महिला उद्यम कोष के तहत, बोर्ड अपनी पूंजी पर वत्तीय सहायता प्रदान करता है। उधार देने वाला वत्त बोर्ड माल क खरीद, होटल व्यवसाय, खाद्य संरक्षण, वाहन मरम्मत, कूलर खरेदी आदि हेतु वत्तीय सहायता प्रदान करता है। कई छोटे व्यवसायों के लए दीर्घका लक ऋण की पेशकश भी करता है। घरेलू सामान, फोटोग्राफी, वी डयो रिकॉ र्डंग, कपड़े धोने, सजावट, मंडप निर्माण के लए सेवा उद्य मयों के लए दीर्घका लक ऋण भी उपलब्ध कया जाता हैं।

उद्य मयों को स्थिर ऋण प्रदान करने के लए राज्य वत्त बोर्ड का गठन कया गया है। वनिर्माण, होटल व्यवसाय, मरम्मत और कूलर के निर्माण, वाहन की मरम्मत, प्रसंस्करण परियोजनाओं, पेट्रोल पंप, गैस एजें सयों जैसे व्यवसायों के लए राज्य वत्त बोर्ड से टर्म लोन प्राप्त कया जा सकता है। सेवा उद्योग के लए राज्य वत्त बोर्ड द्वारा टर्म लोन प्रदान कया जाता है। जैसे दूरसंचार मरम्मत, यात्री सेवा, वी डयो रिकॉ र्डंग, गैस स्टोव मरम्मत, कपड़े धोने का व्यवसाय, सजावट मंडप निर्माण, एयर कंडीशनिंग मरम्मत आदि।

(2) भारत का औद्यो गक वकास कोष: **-** इस कोष द्वारा उद्योगों को वत्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्गीकृत कया जाता है। यह स्व-रोजगार को बढ़ावा देने वाले संगठनों में से एक है। स्वरोजगार के लए, पछड़े क्षेत्रों में सेवा उद्योगों को प्राथ मकता दी जाती है। ऋण रियायती ब्याज दर पर वत्तपो षत होता है और ब्याज भुगतान की सु वधा होती है। अतः पुनर्भुगतान सु वधाजनक हो सकता है, साथ ही पुनर्भुगतान अव ध अन्य संस्थानों की तुलना में लंबी होती है। यह संस्था दीर्घका लक ऋण भी प्रदान करती है। इस लए, दीर्घका लक वकास के लए धन प्रदान करने की जिम्मेदारी इस नि ध पर रखी गई है।

(i) इंडस्ट्रियल रिफ़ाइनें संग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इं डया: **-** इंडस्ट्रियल रिफ़ाइनें संग कॉरपोरेशन ऑफ़ इं डया उधार देने वाली संस्थाओं में से एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना **1958** में हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य लघु और मध्यम अव ध के ऋण प्रदान करना है।

(ii) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इं डया: **-** यूनिट ट्रस्ट ऑफ इं डया **1964** से कार्य कर रही है। यह छोटे और मध्यम स्वरोजगार करने वालों को वत्त प्रदान करता है। योजना निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को बचत करने के लए प्रोत्साहित करती है, उनकी बचत एकत्र करती है और उन्हें वत्त देती है। इतना ही नहीं, निवेशकों को यूनिट धारकों को **90%** शेयर आवंटित कए जाते हैं। यह योजना इकाइयों और वत्तपोषण उद्योगों की खरीद से लाभान्वित होने वाली आम जनता के साथ लोक प्रय हो गई है।

(iii) भारतीय जीवन बीमा निगम: **-** यह वत्त प्रदान करने वाला एक वश्वसनीय निगम है। मुख्य रूप से आवास के लए और स्वरोजगार के लए ऋण प्रदान करता है। इसमें दीर्घका लक ऋण प्रदान करना शा मल है। इसके अलावा पुनर्भुगतान की कश्तें आसान हैं। चुकौती अव ध भी लंबी है।

(iv) औद्यो गक वकास नगम: **-** यह संगठन स्वरोजगार के लए वत्त प्रदान करता है। जला स्तर पर, जला उद्योग अ धकारी परयोजना मॉडल को मंजूरी देता है और नगम को ऋण के रूप में परयोजना के लए आवश्यक धन का सं वतरण करने की सफारश करता है। व्यापारी द्वारा अनुरोध की गई ऋण रा श का **25%** नवेश करना आवश्यक है। इस नवेश को कए बना **75%** रा श का भुगतान उधारकर्ता को नहीं कया जाता है।

(v) मर्चेंट फंड: **-** जला उद्योग केंद्र की सफारश के अनुसार, व्यापारी ऋण के रूप में लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करते हैं। **10%** पूंजी व्यवसायी को स्वयं जुटानी पड़ती है। पुंजी का **90%** मर्चेंट फंड द्वारा उधार दया जाता है। इसके अलावा, इसकी ब्याज दर अन्य संस्थानों की तुलना में अ धक है और पुनर्भुगतान की अव ध कम है। सरकारी नयमों के अनुसार, असुर क्षत ऋण स्वरोजगार को दया जाना चाहए। ले कन मर्चेंट फंड इस मामले मे उदासीन हैं।

(vi) स वल कोऑपरेटिव फंड: **-** स वल कोऑपरेटिव फंड स्वरोजगार के लए उद्य मयों को बड़ी मात्रा में ऋण सहायता प्रदान करता है। उनकी ब्याज दरें वा णज्यिक अ धशेष से कम हैं। चुकौती अव ध भी लंबी है। इसके अलावा, इसकी चुकौती सु वधाओं को भी सरल बनाया गया है। इस लए यह आजकल अ धक लोक प्र य है।इस वत्तीय संस्थान की अलग-अलग योजनाएँ हैं। इनमें नम्न ल खत योजनाएं शा मल हैं: **(1)** महला उद्य मयों के लए वत्तीय सहायता योजना **(2)** रेस्तरां वत्तीय सहायता योजना **(3)** वाहन खरीद वत्तीय सहायता योजना **(4)** सेवा उद्योग वत्तीय सहायता योजना **(5)** अस्पताल और न र्सिंग होम वत्तीय सहायता योजना **(6)** पर्यटन वकास वत्तीय सहायता योजना **(7))** मशीनरी वत्तीय सहायता योजना **(8)** आधुनिकीकरण वत्तीय सहायता योजना **(9)** भूतपूर्व सैनिक वत्तीय सहायता योजना **(10)** सामान्य ऋण योजना **(11)** योग्य पेशेवरों के लए वत्तीय सहायता योजना व भन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण प्रदान करके प्रोत्साहित कया जाता है।

महलाओं के वकास और युवा बेरोजगारी को कम करने के लए अन्य योजनाएँ:

(1) महलाओं के लए स्वरोजगार योजना के तहत व्यक्तिगत सहायता: **-**

यह योजना महाराष्ट्र सरकार के समाज कल्याण वभाग द्वारा संचा लत है। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगारी या कम रोजगार के कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को वत्तीय सहायता प्रदान करना है। ऐसी महलाओं को परिपक्व, पी ड़त, वधवा, सामाजिक-जातीय रूप से शो षत, आ र्थक रूप से पछड़ी महलाओं को इस योजना के तहत वत्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस वत्तीय मदद से महलाओं को सलाई (ड्रेस डजाइनिंग), कढ़ाई, मछली, सब्जी, भोजन तैयार करने और बेचने, खलौने बनाने, पेपर बैग बनाने, पै कंग के लए प्लास्टिक बैग बनाने जैसे स्वरोजगार के लए ऋण मल सकता है। इस ऋण के लए जला समाज कल्याण अ धकारी से संपर्क करना आवश्यक है।

(2) श क्षत बेरोजगार युवाओं के लए स्वरोजगार योजना: **-**

आज की स्थिति में बेरोजगारी की दर बहुत अ धक है। इस पृष्ठभू म के खलाफ, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने संयुक्त रूप से युवाओं के लए एक स्वरोजगार योजना वक सत की है। इस योजना के तहत, लघु व्यवसाय या सेवा उद्योग को ऋण प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रंटिंग प्रेस, ज़ेरॉक्स मशीनों, आटा मलों, गैरेज, रेडीमेड कपड़ों, फास्ट फूड में नवेश करके पुरुषों और महलाओं को स्वरोजगार के

लए ऋण प्रदान कया जाता है। इसकी चुकौती अव ध लंबी होती है। इस प्रकार, स्वरोजगार के लए, व भन्न वत्तीय संस्थान इन ऋणों को चुकाकर बेरोजगारी को कम करने में मदद करते हैं।

अन्य स्व-रोजगार वत्तपोषण योजनाएं:

(१) प्रधान मंत्री रोजगार योजना: **-** यह योजना २ अक्टूबर **1993** को महात्मा गांधी की जयंती से लागू की गई थी। केंद्र सरकार ने श क्षत बेरोजगार युवाओं के लए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लए **1993** से एक स्वरोजगार ऋण योजना शुरू की है। नेशनल बैंक के माध्यम से कसी भी व्यवसाय के लए **1** से **2** लाख रुपये इस योजना के तहत ऋण दिया जाता है। योजना को छोटे प्रभागों के साथ-साथ जिले में भी लागू कया गया है। इसमें **1)** उम्मीदवार के पास कम से कम **S.S.C.** पास या फेल या आई.टी.आई. या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स पास करने का प्रमाण पत्र चाहिए होता है। **2)** आयु सीमा **18** से **45** वर्ष होनी चाहिए। **3)** आवेदक की अपनी पूंजी **5%** होनी चाहिए। **4)** परिवार की संयुक्त आय रु **40,000** प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। इसमें एक या अ धक श क्षत बेरोजगार एक साथ आकर व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।

(2) जिला उद्योग केंद्र ऋण (सीड कै पटल स्कीम): **-** लघु उद्योग जिन्होंने **2** लाख रुपये तक की मशीनरी में निवेश तय कया है, वे सीड कै पटल के रूप में **20** या **30%** अचल संपत्तियों (पछड़े वर्ग के लए) के रूप में ऋण प्राप्त कर सकते हैं। उद्य मयों का निवेश **5%** होना चाहिए। इस योजना के तहत, अ धकतम **40,000** रुपये तक की बीज पूंजी ऋण के रूप में प्राप्त की जा सकती है। यदि उद्य म अनुसू चत जाति और अनुसू चत जनजाति का है, तो उसे **30%** का ऋण मल सकता है, ले कन अ धकतम **60,000** रुपये तक।

(3) हस्त शल्प वकास योजना: **-** केंद्र सरकार ने भारतीय हस्त शल्प बोर्ड की स्थापना की है। महाराष्ट्र राज्य निदेशालय और महाराष्ट्र लघु उद्योग वकास निगम हस्तकला वकास में हर संभव सहायता प्रदान करते हैं। जैसे पारंपरिक कला में धातु का काम, पत्थर पर नक्काशी, लाख का काम, बोर्ड बनाना, कलाकृति आदि। अपरंपरागत हस्त शल्प, कढ़ाई, गु ड़या और खलौने, हथकरघा दीवार की लटकन, कांच के खलौने आदि के व्यवसाय हेतु भी ऋण दिया जाता है।

(४) महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड: **-** यह **1962** में स्था पत कया गया था। यह ग्रामीण कारीगरों, उद्य मयों को वत्तीय सहायता प्रदान करता है जो छोटे उद्योगों को शुरू करने, अपने उद्योगों को स्थायित्व देने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के इच्छुक हैं। इस बोर्ड में **114** उद्योग शा मल हैं। इसमें महिलाओं के लए कई व्यवसाय भी शा मल हैं। जैसे: पापड़, कुरद्या, अचार, तरल मसाले, सुपारी, मोमबत्तियाँ, चाक बनाना, फनाइल, साबुन, डटर्जेंट पाउडर, बेकरी, उद्योग, संथेटिक सरप आदि का उद्योग कर सकते हैं। यह **1** लाख रुपये तक की वत्तीय सहायता प्रदान करता है।

इन संस्थाओं के अलावा महात्मा फुले पछड़ा वर्ग वकास निगम, महिला आ र्थक वकास निगम, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट **(NABARD)**, सेल्फ हेल्फ ग्रुप **(SHGs)**, आदि संस्थान स्वरोजगार के लए वत्त पोषण कर रहे हैं।

बैंकों की भू मका :

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के क्रयान्वयन में बैंकों की महत्त्वपूर्ण भू मका है क्यों क यह ऋण एवं अनुदान कार्यक्रम है, इसमें ऋण एक महत्त्वपूर्ण तत्व है और अनुदान गौण, इस लए कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन के लए कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण में बैंकों के गहरे सहयोग की आवश्यकता होती है। समूह **(cluster)**, प्रमुख कार्यकलापों एवं बुनीयादी सु वधाओं क मयों की पहचान करने, परियोजना रिपोर्ट तैयार

करने तथा जिले में कार्यरत कार्यान्वयन के सभी पक्षों की जाँच के लए बैंक खंड/जिला स्तरीय स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स मतियों की सहायता हेतु आयोजन में शा मल होते है। स्वयं-सहायता समूहों के साथ यथा-संभव नजदीकी संबंध बनाए रखना, समूहों के प्रबंधन तथा योजना के अधीन स्व-रोजगार के अवसरों के बारे में उपर्युक्त जागरूकता पैदा करना, स्वयं-सहायता समूहों का बचत खाता खोलना तथा समूहों की सूक्ष्म ऋण की गति व धयों (बचत, आंतरिक ऋण और वसू लयाँ) की प्रगति पर नजर रखना , स्वयं सहायता समूहों की क्षमता बधने के लए जिला ग्रामीण वकास एजेंसी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेना, स्वरोजगारियों के चयन के लए खंड वकास अ धकारी और सरपंच के साथ तीन सदस्यीय दल के सदस्य के रूप में ग्राम सभाओं में भाग लेना, समूहों के वर्गीकरण प्र क्रया **(grading exercise)** के बाद उ चत पाए गए समूहों को परिक्रामी नि ध सहायता **(Revolving fund assistance)** प्रदान करना, प्रमुख कार्यकलापों के अधीन तैयार कये गये परियोजना रिपोर्ट में इकाई लागत, प्रस्ता वत उद्यम के वत्तमान तथा स्व-रोजगारियों की कार्य-कुशलता को ध्यान में रखते हुए स्व-रोजगारियों की ऋण आवश्यकता का आकलन करना, द् वतीय वर्गीकरण परीक्षा **(Second grading test)** के बाद उ चत पाए गए समूहों को छोटे उद्यम स्था पत करने हेतु वत्तीय सहायता हेतु ऋण-व-अनुदान **(Loan-cum-subsidy)** प्रदान करना, समय पर ऋण **(15** दिन के भीतर कंतु कसी भी स्थिति में एक महीने से अ धक नहीं) की स्वीकृति देना ता क स्वरोजगारियों को आवश्यक ऋण उपलब्ध हो सके आदि कार्य बैंक द्वारा स्वरोजगार के वकास हेतु कए जाते है। इसी तरह ऋण प्रदान करने से पहले यह सुनिश्चित करना क स्वरोजगारी को तकनीकी व प्रबंधन कौशल के मामले में न्यूनतम आवश्यक कुशलता **(Minimum Skill Requirement)** प्राप्त है या नहीं यह जानना, प्र शक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रबंधन कुशलता प्रदान करने के लए एक अ भज्ञानी व्यक्ति **(Resource person)** की भू मका निभाना, योजना के अधीन वत्तीय सहायता प्राप्त करने संबंधी नियम व शर्ते तथा ऋण की अदायगी शीघ्र करने के लए उपलब्ध प्रोत्साहनों की जानकारी सभी स्व-रोजगारियों को प्रदान करने के लए आधार-स्तरीय प्र शक्षण कार्यक्रम में स क्रय रूप से भाग लेना, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अधीन निर्धारित प्रतिबद्धता का पालन करना, भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्धारित समय-समय पर ब्याज की दरें, ऋण की अव ध, नकद सं वतरण, चरण-वार सं वतरण, जमानत संबंधी मानदंडों आदि ऋण प्रदान करने संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना, जिला ग्रामीण वकास एजेंसी के साथ मल कर आस्तियों की भौतिक जाँच करना जिससे यह सुनिश्चित हो सके क स्वरोजगारी अच्छी गुणवत्ता वाले आस्तियों का अ धग्रहण करता है। स्वरोजगारियों को आवश्यकतानुसार बार-बार ऋण प्रदान करना ता क वे अपने कामकाज का वस्तार कर सके । आदि कार्य बैंक द्वारा स्वरोजगार के वकास हेतु कए जाते है। इस प्रकार स्वरोजगार के वकास में ऋण देने वाली संस्थ महत्वपूर्ण भू मका निभाती है।

निष्कर्ष :

स्वरोजगार के वकास में ऋण देने वाली संस्थाये महत्वपूर्ण भू मका निभा रही है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के क्रयान्वयन में बैंकों की महत्त्वपूर्ण भू मका है। केंद्र सरकार ने श क्षत बेरोजगार युवाओं के लए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लए अनेक योजनाए कार्यान्वित क है। कन्तु इन से लाभान्वित होने वालो क संख्या अब भी बहोत कम है। योजनाओं क शर्ते जटिल होने के कारण इनका लाभ हर व्यक्ति तक नहीं पाहुच पा रहा है।

संदर्भ सूची :

1) **Jennifer Mcknight Trontz, Home Economics: Vintage Advice and Practical Science for the 21st-Century Household, Quirk Books publisher, July 1, 2010**
2) **Ela R. Bhatt, We Are Poor but So Many: The Story of Self-Employed Women in India, Oxford University Press, 2005**
3) भारतीय अर्थव्यवस्था, डॉ. घाटपे व वावरे, निराली प्रकाशन, पुणे, जुलाई- **2010**
4) भारतीय अर्थव्यवस्था, डॉ. स. श्री. मु. देसाई, डॉ. निर्मला भालेराव, निराली प्रकाशन, पुणे, **2** रा संस्करण

वर्तमानपत्र : नवभारत, लोकमत, टाईम्स ऑफ इं डया

वेबसाइट :

- ***https://en.wikipedia.org/wiki/Self-employment***
- ***https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3_%E0%A4%9C%E0%A4%AF%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%80_%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE_%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B0_%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE***
- ***https://www.rbi.org.in/***